रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 98] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 10, 2017/फाल्गुन 19, 1938
No. 98] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 10, 2017/PHALGUNA 19, 1938

dUnh; fo|qr fofu;ked vk;ksx

vf/klwpuk

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2017

l-&,y&1@¼3½@2009&dsfofovk-—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, समय–समय पर यथासंशोधित, केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तरराज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 (जिसे इसके पश्चात् 'मूल विनियम' कहा गया है) का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:–

1. lf{klr uke rFkk çkjEHk%

(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तरराज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) (छठा संशोधन) विनियम, 2017 है।

(2) ये विनियम भारत के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. ewy fofu;e ds fofu;e 2 dk la'kks/ku%

(1) मूल विनियम के विनियम 2 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (ठ) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगाः

"(ठ) **"nh?kZdkfyd igqap"** से 7 वर्षों से अधिक अवधि के लिए अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के उपयोग का अधिकार अभिप्रेत है;"

(2) मूल विनियम के विनियम 2 के खण्ड (1) के उप-खण्ड (ण) के स्थान पर निम्नलिखित, रखा जाएगाः

(ण) ^^e/;dkfyd fuckZ/k igqap** से 3 मास के समकक्ष या उससे अधिक अवधि किन्तु 5 वर्षों से अनधिक की अवधि के लिए अन्तर-राज्यिक पारेषण प्रणाली के उपयोग का अधिकार अभिप्रेत है;"

3. ewy fofu;e ds fofu;e 8 dk la'kks/ku% मूल विनियम के विनियम 8 के खण्ड (8) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगाः

"(8) पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (समझे गए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी सहित) के पूलिंग स्टेशन के लिए उत्पादन कंपनी के उत्पादन केन्द्र से समर्पित पारेषण लाइन, आवेदक उत्पादक कंपनी द्वारा विकसित की जाएगी, उसके स्वामित्व में रहेगी और उसके द्वारा प्रचालित की जाएगी। समर्पित पारेषण लाइनों के लिए विनिर्देश संयोजकता या दीर्घकालिक पहुंच या मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करते समय सीटीयू द्वारा निर्दिष्ट किए जाएंगेः

परन्तु यह कि 500 मेगावाट और उससे अधिक के थर्मल उत्पादन केन्द्र तथा हाइड्रो उत्पादन केन्द्र या 250 मेगावाट और उससे अधिक की क्षमता के ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का उपयोग करने वाले किसी उत्पादन केन्द्र की दशा में, सीटीयू इस प्रकार की प्रणाली की योजना करेगा कि समर्पित पारेषण लाइन की अधिकतम लंबाई पारेषण अनुज्ञप्तिधारी के नजदीकी पूलिंग उपकेन्द्र तक उत्पादन केन्द्र के स्विचयार्ड से 100 कि.मी. से अधिक न होः

परन्तु यह और कि जहां समर्पित पारेषण लाइनें समन्वित पारेषण योजना के अधीन सीटीयू द्वारा पहले ही से निर्मित कर ली गई हैं/उसके निर्माणाधीन है, तो उन्हें निम्नलिखित लागू होगाः

(क) ऐसी समर्पित पारेषण लाइनों के लिए पारेषण प्रभार संबंधित उत्पादन कंपनी द्वारा उत्पादन कंपनी के उत्पादन केन्द्र की समर्पित लाइन के वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से दीर्घकालिक पहुंच को प्रचालन करने तक पारेषण अनुज्ञप्तिधारी (समझे गए पारेषण अनुज्ञप्तिधारी सहित) को संदेय होंगे;

(ख) दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच के प्रचालन होने के पश्चात्, समर्पित पारेषण लाइन को पीओसी पूल में शामिल किया जाएगा और उक्त समर्पित पारेषण लाइन के लिए पारेषण प्रभारों का भुगतान, समय–समय पर, यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तर-राज्यिक प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2010 के अनुसार शासित होगा।"

4. ey fofu;e d fofu;e 9 dk l'kk/ku% मूल विनियम के विनियम 9 के खण्ड (2) में, ''या निष्पादन के अधीन पारेषण प्रणाली'' शब्दों के पश्चात् ''जो सीईए को रिपोर्ट की गई प्रास्थिति के अनुसार, अगले 06 कलैण्डर मासों के भीतर कमीशनिंग किए जाने के लिए प्रत्याशित हैं'' शब्द जोड़े जाएंगे।''

5. ey fofu;e e u; fofu;e dk vrLFkkiu%& मूल विनियम के विनियम 15क के पश्चात्, नया विनियम 15ख अंतःस्थापित किया जाएगाः

"15[k- ,yVh, xkgdk }kjk fudklh ;k vr{ki.k dh Qfex vi%

¼1½ ऐसा दीर्घकालिक निर्बाधकालिक ग्राहक, जिसे कम से कम एक वर्ष से अन्यून अवधि के लिए उसी लक्षित क्षेत्र में विद्युत की आपूर्ति के लिए विद्युत क्रय करार करने के पश्चात् लक्षित क्षेत्र में दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान की गई है, दीर्घकालिक पहुंच के अधीन ऊर्जा के अनुसूचीकरण के लिए पीपीए की प्रति सहित विद्युत क्रय करार के बारे में नोडल एजेन्सी को अधिसूचित करेगाः

परन्तु यह कि ऊर्जा का अनुसूचीकरण लक्षित क्षेत्र में अंतिम माइल पारेषण लिंक की उपलब्धता पर अवलम्बित होगाः

परन्तु यह और कि पीपीए की प्रति की प्राप्ति पर, सीटीयू यथाशीघ्र, लेकिन एक माह की अवधि से अधिक नहीं, में ऊर्जा के अनुसूचीकरण के लिए संबंधित आरएलडीसी को परामर्श देगाः

परन्तु यह भी कि यदि दीर्घकालिक निर्बाध पहुंच के अधीन ऊर्जा के अनूसूचीकरण के लिए अपेक्षित क्षमता मध्यकालिक निर्बाध पहुंच या अल्पकालिक निर्बाध पहुंच के अधीन किसी अन्य व्यक्ति को पहले ही आबंटित की गई है तो मध्यकालिक निर्बाध पहुंच या अल्पकालिक निर्बाध पहुंच को इन विनियमों के विनियम 25 के अनुसार मात्रा और पीपीए की अवधि की तत्स्थानी के अनुसार कम किया जाएगाः

परन्तु यह भी कि जहां विद्यमान मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के अधीन क्षमताएं दीर्घकालिक निर्बाध ग्राहक के पीपीए के अधीन ऊर्जा के अनुसूचीकरण पर विचार करते हुए कम की गई है वहां ऐसे मध्यकालिक निर्बाध पहुंच ग्राहक को किसी अधित्याग प्रभारों के बिना मध्यकालिक निर्बाध पहुंच को अधित्याग करने की अनुमति दी जाएगी।

(2) ऐसे दीर्घकालिक पहुंच ग्राहक, जो उसे प्रदान की गई दीर्घकालिक पहुंच के प्रचालन न होने के कारण मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्राप्त कर रहा है, उसे मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के अधित्याग के लिए अधित्याग प्रभारों का संदाय करने की आवश्यकता तब नहीं होगी यदि दीर्घकालिक पहुंच मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के अस्तित्व के दौरान प्रचालित किया गया हो।"

6. u; fofu;e 16[k dk vrLFkkiu%

विनियम 16क के पश्चात्, एक नया विनियम 16ख जोड़ा जाएगाः

"16[k. nh?kdkfyd igp vkj e/;dkfyd fuck/k igp dk de mi;kx%

यदि आरएलडीसी द्वारा यह संप्रेक्षण किया जाता है कि दीर्घकालिक पहुंच या मध्यकालिक निर्बाध पहुंच ग्राहक के अनुसूचीकरण के लिए अनुरोध लगातार (पाँच दिनों से अधिक के लिए) नोडल एजेंसी अर्थात् सीटीयू द्वारा प्रदान की गई, दीर्घकालिक पहुंच या मध्यकालिक निर्बाध पहुंच की अपेक्षा कम आ रहे हैं तो आरएलडीसी ऐसे दीर्घकालिक पहुंच या मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के ग्राहक को ऐसे कम उपयोग के कारण बताने के संबंध में नोटिस जारी कर सकता है। दीर्घकालिक पहुंच या मध्यकालिक निर्बाध पहुंच ग्राहक इस प्रकार के कम उपयोग के कारणों को बताएगा और अगले दिन तक की गई इस शर्त के साथ अपेक्षा, संभावित अवधि, आदि के ब्यौरे प्रस्तुत करेगा। अप्रयुक्त अंतरण क्षमता ऐसे अनुपयुक्त अवधि पर निर्भर करते हुए मध्यकालिक और अल्पकालिक ऐसे निर्बाध संव्यवहार के अनुसूचीकरण के लिए इस शर्त के साथ जारी की जाएगी कि ऐसे संव्यवहार में तब कटौती की जाएगी यदि मूल दीर्घकालिक पहुंच या मध्यकालिक निर्बाध उसकी क्षमता का उपयोग करना चाहता हैः

परन्तु यह कि जहां दीर्घकालिक पहुंच के अधीन नियत क्षमता मध्यकालिक निर्बाध पहुंच के अधीन जारी की जाती है, वहां संबंधित उत्पादक ऐसी पुनः आबंटित क्षमता के लिए दीर्घकालिक पहुंच प्रभारों को संदाय करने के लिए दायी नहीं होगा"

6. ewy fofu;e dk fofu;e 19 dk la'kks/ku& मूल विनियम के विनियम 19 के खण्ड (2) के स्थान, पर निम्नलिखित रखा जाएगाः "(2) मध्यकालिक निर्बाध पहुंच की आरंभिक तारीख आवेदन किए जाने के मास के अंतिम दिन से 5 माह से पहले नहीं होगी और दो वर्ष से बाद की नहीं होगी।"

7. u;s fofu;eksa dk vr%LFkkiu& मूल विनियम 33 के पश्चात्, निम्नलिखित एक नया विनियम जोड़ा जाएगा तथा विनियम 33क तथा 33ख को पुनःसंस्थापित किया जाएगाः

"33d**.** f'kfFky djus dh 'kfDr**:**

आयोग, लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए, इन विनियमों के किसी भी उपबंध को स्वप्रेरणा से या किसी प्रभावित व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर व्यक्तियों की श्रेणी को लागू विनियम के प्रचालन से उद्भूत कठिनाई को दूर करने के लिए शिथिल कर सकेगा।

33[k**.** dfBukbZ nwj djus dh 'kfDr**:**

यदि इन विनियमों के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो आयोग, स्वप्रेरणा से या नोडल एजेंसी द्वारा किए गए आवेदन पर, ऐसे आदेश द्वारा ऐसे उपबंध जो अधिनियम के उपबंधों या आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य विनियमों के उपबंधों से असंगत न हो, बना सकेगा जो इन विनियमों के उद्देश्यों को प्रभावी करने में कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक रूप में पाया जाए"

शुभा शर्मा, सचिव

[विज्ञापन– III /4/असा./464/16]

fVIi.k**:** केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अन्तरराज्यिक पारेषण में संयोजकता, दीर्घकालिक पहुंच और मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना और संबद्ध मामले) विनियम, 2009 भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग III, खण्ड 4, संख्या 140 द्वारा में तारीख 10.8.2009 को प्रकाशित किए गए तथा निम्नलिखित रूप से संशोधित किए गए –

(क) संशोधित विनियम, 2010 जो तारीख 7.9.2010 को भारत के राजपत्र (असाधारण) के भाग III, खण्ड 4, संख्या 225 में प्रकाशित किए गए।

(ख) द्वितीय संशोधन विनियम, 2012 जो तारीख 22.3.2012 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग–III, खण्ड 4, क्रम संख्या 72 में प्रकाशित किए गए।

(ग) तृतीय संशोधन विनियम, 2013 जो तारीख 26.3.2013 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग–III, खण्ड 4, क्रम संख्या 86 में प्रकाशित किए गए।

(घ) चतुर्थ संशोधन विनियम, 2014 जो तारीख 21.8.2014 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग–III, खण्ड 4, क्रम संख्या 245 प्रकाशित किए गए।

(ङ) पाँचवा संशोधन विनियम, 2015 जो तारीख 19.5.2015 को भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग–III, खण्ड 4, क्रम संख्या 171 प्रकाशित किए गए।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION
NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2017

No.–L-1/(3)/2009-CERC.—In exercise of the powers conferred under section 178of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations to amend Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term Access and Medium-term Open Access in inter-State Transmission and related matters Open Access in inter-State Transmission) Regulations, 2009, as amended from time to time(hereinafter referred to as "the Principal Regulations"), namely:-

1. Short Title and Commencement

(1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term Access and Medium-term Open Access in inter-State Transmission and related matters) (Sixth Amendment) Regulations, 2017

(2) These regulations shall come into force from the date of their publications notification in the Gazette of India.

2. Amendment to Regulation 2 of the Principal Regulations:

(1) Sub-clause (l) of clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"(l) **"long-term Access"** means the right to use the inter-State Transmission system for a period exceeding 7 years;"

(2) Sub Clause (o) of clause (1) of Regulation 2 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"(o) **Medium-Term Open Access** means the right to use the inter-State Transmission system for a period equal to or exceeding 3 months but not exceeding 5 years;"

3. Amendment of Regulation 8 of Principal Regulations: Clause (8) of Regulation 8 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"(8) The dedicated transmission line from generating station of the generating company to the pooling station of the transmission licensee (including deemed transmission licensee) shall be developed, owned and operated by the applicant generating Company. The specifications for dedicated transmission lines may be indicated by CTU while granting Connectivity or Long term Access or Medium term Open Access:

Provided that in case of a thermal generating station of 500 MW and above and a hydro generating station or a generating station using renewable sources of energy of capacity of 250 MW and above, CTU shall plan the system such that maximum length of dedicated transmission line shall not exceed 100km from switchyard of the generating station till the nearest pooling substation of transmission licensee:

Provided that where the dedicated transmission lines have already been constructed/are under construction by CTU under coordinated transmission planning, the following shall apply:

(a)The transmission charges for such dedicated transmission lines shall be payable by the concerned generating company to the transmission licensee (including deemed transmission licensee) from the date of COD of the dedicated line till operationalisation of LTA of the generating station of the generating company:

(b) After operationalisation of the LTA, the dedicated transmission line shall be included in the POC pool and payment of transmission charges for the said dedicated transmission line shall be governed as per the CERC (Sharing of inter-state transmission charges and losses) Regulations, 2010 as amended from time to time."

4. Amendment of Regulation 9 of the Principal Regulations: In Clause (2) of Regulation 9 of the Principal Regulations, the words "expected to be commissioned within next 6 calendar months as per the status reported to CEA" shall be added after words "or the transmission system under execution"

5. Insertion of a new Regulation in the Principal Regulations: Regulation 15B shall be inserted after Regulation 15 of the Principal Regulations as under:

"**15B. Firming up of Drawl or Injection by LTA Customers:**

(1) The Long Term Access Customer who has been granted long term access to a target region shall, after entering into power purchase agreement for supply of power to the same target region for a period of not less than one year, notify the Nodal Agency about the power purchase agreement along with copy of PPA for scheduling of power under LTA:

Provided that scheduling of power shall be contingent upon the availability of last mile transmission links in the target region:

Provided further that on receipt of the copy of the PPA, CTU shall advise concerned RLDC for scheduling of power at the earliest, but not later than a period of one month:

Provided also that if the capacity required for scheduling of power under LTA has already been allocated to any other person under MTOA or STOA, then MTOA or STOA shall be curtailed in accordance with Regulation 25 of these Regulations corresponding to the quantum and the period of the PPA:

Provided also that where capacities under existing MTOA are curtailed for considering scheduling of power under the PPA of the Long term Access Customer, such MTOA customer shall be permitted to relinquish its MTOA without any relinquishment charges.

(2) An LTA Customer who is availing MTOA on account of non-operationalization of LTA granted to it, shall not be required to pay relinquishment charges towards relinquishment of MTOA if the LTA is operationalized during the subsistence of MTOA."

6. Insertion of new Regulation 16 B

A new regulation shall be added below Regulation 16A

"**16B. Underutilisation of Long term Access and Medium term Open Access:**

In case it is observed by RLDCs that the LTA or MTOA customer's request for scheduling is consistently (for more than 5 days) lower than the quantum of LTA or MTOA granted by the Nodal Agency (i.e.; CTU), RLDC may issue a notice to such LTA or MTOA customer asking the reasons for such under-utilization. The LTA or MTOA customer shall furnish the reasons for such under-utilization and will provide such details like the reduced requirement, likely period, etc. by the following day. The un-utilized transfer capability will then be released for scheduling of Medium term and Short-term open access transaction depending upon the period of such underutilization with a condition that such transaction shall be curtailed in the event original LTA or MTOA customer seeks to utilize its capacity:

Provided that where the capacity tied up under LTA is released under MTOA, the concerned generator shall not be liable to pay the LTA charges for such reallocated capacity. "

6. Amendment of Regulation 19 of the Principal Regulations: Clause (2) of Regulation 19 of the Principal Regulations shall be substituted as under:

"(2) The start date of the medium-term open access shall not be earlier than 5 months and not later than 2 years from the last day of the month in which application has been made."

7. Insertion of new Regulations: The following new regulations shall be added after Regulation 33 and shall be numbered as Regulation 33A and 33B:

"**33A. Power to Relax:**
The Commission, for reasons to be recorded in writing, may relax any of the provisions of these regulations on its own motion or on an application made before it by an affected person to remove the hardship arising out of the operation of Regulation, applicable to a class of persons.

33B. Power to Remove Difficulty:
If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these regulations, the
Commission may, on its own motion or on an application made before it by the nodal agency, by order, make such provision not inconsistent with the provisions of the Act or provisions of other regulations specified by the Commission, as may appear to be necessary for removing the difficulty in giving effect to the objectives of these regulations."

SHUBHA SARMA, Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./464/16]

Note: Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term Access and Medium-term Open Access in inter-State Transmission and related matters) Regulations, 2009 were published in Part III, Section 4, No.140 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 10.08.2009 and amended vide -

(a) Amendment Regulations, 2010 which was published in Part III, Section 4, No. 225 of the Gazette of India (Extraordinary) dated07.09.2010.

(b) Second Amendment Regulations, 2012 which was published in Part III, Section 4, No. 72 of the Gazette of India (Extraordinary) dated22.03.2012.

(c) Third Amendment Regulations, 2013 which was published in Part III, Section 4, No. 86 of the Gazette of India (Extraordinary) dated 26.03.2013

(d) Fourth Amendment Regulations, 2014 which was published in Part III, Section 4, No. 245 of the Gazette of India (Extraordinary) dated21.08.2014.

(e) Fifth Amendment Regulations, 2015 which was published in Part III, Section 4, No. 171 of the Gazette of India (Extraordinary) dated19.05.2015.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2017.03.14 16:08:04 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.